

राजस्थान-सरकार

शिविर प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर) जिला डूंगरपुर (राज.)

शिविर स्थल

खेखाडा

दिनांक 26.5.23

क्रमांक:राजस्व वाद/प्रशा. गांवों के संग/2023/

83-84

दिनांक 26.5.2023

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाते दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का मालपुर भू.अ.नि.

खेखाडा

की संयुक्त रिपोर्ट तथा तहसीलदार डूंगरपुर की

अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत

ग्राम खेखाडा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2078

में खाता संख्या 22, 23, 24, 25 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान पृविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	खेखाडा	<del>22</del> 23	देवजी पि. भोगा	देवीलाल पुत्र भोगा

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर

दिनांक 26.5.2023

क्रमांक:राजस्व वाद/प्रशा. गांवों के संग/2023/ 83-84

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी हल्का मालपुर
3. रक्षित पत्रावली

उपनि प्राप्त की।

प. मालपुर

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगरपुर